मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक/ 5/6/2005/10-3 भोपाल, दिनांक 17 मई, 2005

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी,

क्षेत्रीय।

विषयः— क्षेत्र से गुजर रहे दिनांक 25.10.1980 के पूर्व कच्चे मार्गों को पक्का करने बाबत।

भारत शासन के ज्ञाप कमांक 11—48/2002—एफसी, दिनांक 30.4.2005 की छाया प्रति संलग्न है। राज्य शासन वन क्षेत्र से गुजर रहे कच्चे मार्गों को पक्का कराने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ जारी करने के लिये क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी को एतद द्वारा अधिकृत करता है :—

(1) दिनांक 25.10.1980 के पूर्व वन क्षेत्र में निर्मित सडकों को पक्का करने की अनुमति दी जाये लेकिन यदि ऐसी सडकों का डामरीकरण किया जाना है तो आवेदनकर्ता विभाग सडक निर्माण के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(2) राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण के अन्दर से गुजर रही सडक का उन्नयन कार्य करने के पूर्व राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड व सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(3) कोलतार को पिघलाने एवं मिलाने के लिये अग्नि वृक्षों से एक सुरक्षित दूरी पर लगाई जायेगी। दूरी का निर्धारण संबंधित वन मंडलाधिकारी के द्वारा किया जायगा। उपयुक्त होगा कि इस तरह के कार्य के लिये सूखी तथा गर्म ऋतुओं में कार्य नहीं किया जाये। कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी इस कार्य हेतु जलाऊ लकडी पूर्व में राज्य शासन तथा वन विकास निगम के डिपो से क्रय करेगी।

(4) वन क्षेत्रों के अंदर पत्थरों को तोडने की कोई अनुमति नहीं होगी। पूर्व से ही निर्मित सामग्री का सडकों के उन्नयन हेतु उपयोग किया जायेगा।

(5) उन्नयित सडक के दोनों किनारे ईंट/ पत्थर से सुदृढ किये जायेगें तथा भू—क्षरण को रोकने के लिये क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी के परामर्श से वेजीटेटिव कार्य परियोजना लागत पर किया जायेगा।

(6) किसी भी वृक्ष को नहीं काटा जायेगा।

(7) सडक का चौडीकरण नही किया जायेगा। यदि चौडीकरण किया जाना आवश्यक है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत केन्द्र शासन से पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(8) वन क्षेत्र को कहीं भी नहीं तोडा जायेगा।

(9) क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तो सडक के दोनों ओर परियोजना लागत पर वृक्षारोपण करवा सकता है जिसका रख—रखाव भी परियोजना लागत पर किया जायेगा।

(10) वन भूमि पर श्रमिक केंप नहीं लगाये जायेगे।

1) सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

2) क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी समय–समय पर स्थानीय पौधे एवं जन्तुओं के संरक्षण व शिकार के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर कोई नयी शर्त लगाने के लिये सक्षम रहेगें।

3) सडक का उन्नयन कार्य के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुक्सान होता है तो कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी परियोजना लागत पर ऐसे नुक्सान की भरपाई करेगी। नुक्सान का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी द्वारा कियां जायेगा

4) इस उन्नयित की गयी सडक पर अथवा उन्नयन के अधीन सडक पर स्थायी चेकपोस्ट उपयुक्त स्थानों पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाये जायेगें।

आपके वन मंडल में जो भी प्रकरण प्राप्त हों उनका समुचित परीक्षण किया जाकर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावे। जारी की गयी स्वीकृति आदेश की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा एक प्रति मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को भी अन्य संबंधित के साथ अंकित की जाये।

(रतन पुरवार)
सचिव, वन विभाग

पृ.कमांक/ 5/6/2005/10-3 भोपाल, दिनांक 17 मई,2005

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी
5. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक
6. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, म0 प्र0
7. समस्त जिलाध्यक्ष
8. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग